

पत्र संख्या-87-प्र0सु0-01/पाकालि/2002-20-प्र0से0/2000, दिनांक : 25.02.2002 का संलग्नक। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मुख्य उत्तरदायित्व, परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्व

क्र० सं०	कार्य	पद का नाम जिसका मुख्य उत्तरदायित्व होगा	पद का नाम जिसका परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व होगा	पद का नाम जिसका प्रशासकीय उत्तरदायित्व होगा	अन्य विवरण/ मन्तव्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<u>नये कार्यों का सम्पादन</u> (लाइनो/विद्युत उपस्थान)				
(क)	प्राथमिक कार्य सर्वेक्षण/स्थल सर्वेक्षण	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशाली अभियन्ता	
(ख)	<u>लाइनों के कार्य का लक्ष्य निर्धारण</u> 1. 11के.वी. विद्युत लाइन तक 2. 33के.वी. विद्युत लाइनें 3. 132के.वी. एवं 132 के.वी. से अधिक विद्युत लाइनें	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अधिशाली अभियन्ता (पारेषण)	अधिशाली अभियन्ता अधिशाली अभियन्ता उप महाप्रबन्धक (पारेषण)	अधिशाली अभियन्ता उप महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक (पारेषण)	
(ग)	<u>विद्युत उपस्थानों का लक्ष्य निर्धारण</u> 1. 11/4 के.वी. विद्युत उपस्थान 2. 66/33/11 के.वी. विद्युत उपस्थान 3. 220/132/33 के.वी. विद्युत उपस्थान	अधिशाली अभियन्ता (वितरण) अधिशाली अभियन्ता (वितरण) अधिशाली अभियन्ता (पारेषण)/उपमहाप्रबन्धक	अधिशाली अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक (वितरण) उपमहाप्रबन्धक (पारेषण)	उपमहाप्रबन्धक (वितरण) महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक	
(घ)	प्राक्कलन का कार्य	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी/ अधि०अभि०	उपमहाप्रबन्धक	
(च)	<u>लाइनों का निर्माण</u>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 11 के.वी. तक</li> <li>2. 11 के.वी. से अधिक 33 के.वी. तक</li> <li>3. 132 के.वी. से ऊपर</li> </ol>	<p>अवर अभियन्ता अवर अभियन्ता</p> <p>अवर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी</p> <p>अधिशाली अभियन्ता</p>	<p>अधिशाली अभियन्ता अधिशाली अभियन्ता</p> <p>उपमहाप्रबन्धक</p>	
(छ)	<p><u>विद्युत उपस्थानों का निर्माण</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 11/0.4 के.वी. तक</li> <li>2. 33/11 के.वी. से 132/33/11 के.वी.तक</li> <li>3. 132/33/11 के.वी. से ऊपर</li> </ol>	<p>अवर अभियन्ता अवर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी</p> <p>अवर अभियन्ताउपखण्ड अधिकारी</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी अधिशाली अभियन्ता</p> <p>अधिशाली अभियन्ता</p>	<p>अधिशाली अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक</p> <p>महाप्रबन्धक</p>	
2. (क)	<p><u>नये विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजनों का दिया जाना</u> विद्युत भार की स्वीकृति की प्रक्रिया</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बत्ती पंखा</li> <li>2. औद्योगिक,निजी नलकूप एवं अन्य</li> </ol>	<p>उपखण्ड अधिकारी खण्ड लिपिक/सहायक अभियन्ता (राजस्व)</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी अधिशाली अभियन्ता</p>	<p>अधिशाली अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक</p>	<p>2(क) (1):- विद्युत भार स्वीकृत करने के लिये निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7.5 के.डब्लू.(KW) स0 अभि0(मेन्स)/उपखण्ड अधिकारी</li> <li>2. 7.5 के.डब्लू. से 25 के. डब्लू-(KW) अधि.अभि.</li> <li>3. 25 से 75 के.डब्लू.(KW) उ0म0प्र0</li> <li>4. 75 से 1000 के.डब्लू-(KW) म0प्र0 समिति</li> <li>5. 1000 के.डब्लू-(KW) से ऊपर-निगम</li> </ol>

(ख)	मार्ग सर्वेक्षण/स्थल सर्वेक्षण	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशायी अभियन्ता	
(ग)	एस्टीमेट का बनाया जाना	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशायी अभियन्ता	
(घ)	एस्टीमेट की स्वीकृति की प्रक्रिया 1. बत्ती पंखा 2. औद्योगिक संयोजन एवं निजी नलकूप एवं अन्य	खण्ड लिपिक मनचित्रक/कम्प्युटर खण्ड लेखाकार (कार्य)	अधिशायी अभियन्ता अधिशायी अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक	(घ) (1):- 9.5 के.डब्लू.(KW) तक बत्ती पंखा का भार एवं एस्टीमेट की स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी/स0अभि0(मेन्स) अधि कृत हैं। (जहाँ खम्भे की दूरी 40 मीटर से अधिक न हों)
(ङ)	टी0सी0 निर्गमन एवं लाइन आदेश/कार्य आदेश 1. बत्ती पंखा 2. औद्योगिक एवं निजी नलकूप एवं अन्य	खण्ड लिपिक एग्रीमेंट लिपिक/ स0अभि0 (रा0)	उपखण्ड अधिकारी अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक	
(च)	कार्य सम्पन्न कराना 1. बत्ती पंखा तथा निजी नलकूप तथा 15 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य 2. 15 अ0श0 से अधिक के औद्योगिक तथा अन्य	अवर अभियन्ता  अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड अधिकारी	अधिशायी अभियन्ता  अधिशायी अभियन्ता	
(छ)	मीटर लगाना तथा नये संयोजनों की सूचना 1. बत्ती पंखा तथा 15 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य	तकनीशियन ग्रेड-2(वि0) तकनी0 ग्रेड-2 (ला0), अवर अभियन्ता (मीटर्स)	उपखण्ड अधिकारी, स0अभि0(मीटर्स) अवर अभियन्ता(वितरण)	अधि0अभि0(वितरण) अधि0अभि0(परीक्षण)	

	2. 15 अ०श० से 100 अ०श० तक औद्योगिक तथा अन्य 3. 100 अ०श० से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य	अवर अभियन्ता (मी०)/ (वितरण) सहायक अभि(मी०)/ उपखण्ड अधिकारी	स०अभि०(मी०)/उपखण्ड अधिकारी अधि०अभि०(प०)/ अधि०अभि०(वि०)	अधि०अभि०(प०)/ अधि०अभि०(वि०) उपमहाप्रबन्धक	
(ज)	बड़े औद्योगिक कनेक्शनों का लेजराइजेशन	वरिष्ठ लिपिक/ लेखाकार (राजस्व)	सहा०अभि०(रा०)/ लेखाकार (राजस्व)	अधिशासी अभियन्ता	
3. (क)	<u>राजस्व निर्धारण एवं वसूली:-</u> मीटर रीडिंग तथा मीटरों तथा सीलों का निरीक्षण तक सही दशा में रखना। 1. बत्ती तथा पंखा एवं 15 अश्व शक्ति तक औद्योगिक एवं अन्य 2. 15 से 50 अश्व शक्ति औद्योगिक एवं अन्य 3. 50 से ऊपर 100 अश्व शक्ति तक 4. 100 से ऊपर 500 अश्व शक्ति तक 5. 500 अश्व शक्ति से ऊपर	तकनीशियन ग्रेड-2 (विद्युत)  अवर अभियन्ता(वितरण) अवर अभियन्ता (मीटर्स) उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड अधिकारी(वि०), स०अभि०(मी०) अधि०अभि०(वितरण) अधि०अभि०(परीक्षण)	अवर अभियन्ता (वितरण) अवर अभियन्ता (मीटर्स)  उपखण्ड अधिकारी (वितरण, स०अभि०(मीटर्स)) अधि०अभि०(वितरण)  अधि०अभि०(वितरण) अधि०अभि०(परीक्षण) उपमहाप्रबन्धक	उपखण्ड अधिकारी (वितरण, स०अभि० (मीटर्स)) अधि०अभि०(वितरण) अधि०अभि०(परीक्षण) उपमहाप्रबन्धक  उपमहाप्रबन्धक  महाप्रबन्धक	नोट : परिचालकीय कर्मचारी वर्ग की सेवा विनियमावली 1995 के तहत लाइनमैन का पद नाम तकनीशियन ग्रेड-2 (लाइन) एवं मीटर रीडर/मीटर टेस्टर का पद नाम तकनीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) है।
(ख)	अवैधानिक विद्युत उपभेक्ता के प्रति				पूर्व में लाईन मैन

	<u>कार्यवाही</u> 1. बत्ती, पंखा एवं 15 अ0श0 तक औद्योगिक एवं अन्य 2. 15 से 50 अ0 श0 तक औद्योगिक एवं अन्य 3. 50 से ऊपर 500 अ0 श0 तक औद्योगिक एवं अन्य 4. 500 अ0 शू0 से ऊपर औद्योगिक एवं अन्य	तकनीशियन ग्रेड-2 लाईन/अवर अभियन्ता तकनीशियन ग्रेड-2(वि0) अवर अभियन्ता (वितरण) अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी/अधि0अभि0	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अधिशाली अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक	अधिशाली अभियन्ता अधिशाली अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक महाप्रबन्धक	जे0एम0टी0/मीटर रीडर
(ग)	<u>भुगतान न करने की दशा में या अन्य विद्युत विच्छेदन तथा सूचना प्रेषित करना</u> 1. बत्ती, पंखा, निजी नलकूप, 50 अ0श0 तक के समस्त उपभोक्ता 2. 50 अ0श0 से ऊपर 500 अ0श0 तक के समस्त विद्युत उपभोक्ता 3. 500 अ0श0 से ऊपर के उपभोक्ता	तकनीशियन ग्रेड-2 लाईन अवर अभियन्ता अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी	अवर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशाली अभियन्ता	उपखण्डअधिकारी/अधि0अभि0(वि0) अधिशालीअभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक	
(घ)	<u>विद्युत विच्छेदन की सूचना पर कार्यवाही लेजर में अंकित कराना</u> 1. बत्ती पंखा, निजी नलकूप	संबंधित बिल लिपिक/	लेखाकार (राजस्व)	स0अ0 (राजस्व)	

	<p>तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p>2. 100 अ0श0 से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p><u>सेक्शन-3 तथा सेक्शन-5 की अधिसूचना निर्गत करना।</u></p> <p>1. बत्ती पंखा, निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p>2. 100 अ0श0 से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य</p>	<p>वरिष्ठ बिल लिपिक</p> <p>संबंधित बिल लिपिक</p> <p>संबंधित बिल लिपिक/ वरिष्ठ बिल लिपिक</p> <p>सम्बन्धित वरिष्ठ बिल लिपिक</p>	<p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p>	<p>अधिशायीअभियन्ता</p> <p>अधिशायीअभियन्ता</p> <p>अधिशायीअभियन्ता</p> <p>अधिशायीअभियन्ता</p>	
(ड)	<p><u>विद्युत बकाया के भुगतान के पश्चात कार्यवाही लेजर में अंकन :-</u></p> <p>1. बत्ती पंखा, निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p>2. 100 अ0श0 से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य</p>	<p>संबंधित बिल लिपिक/ वरिष्ठ बिल लिपिक</p> <p>सम्बन्धित वरिष्ठ बिल लिपिक</p>	<p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p>	<p>अधिशायीअभियन्ता</p> <p>अधिशायीअभियन्ता</p>	<p>1. निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य विद्युत विच्छेदन के पश्चात बिल का भुगतान केवल खण्ड कार्यालय में लिया जाएगा।</p> <p>2. सेक्शन-5 की अधिसूचना निर्गत किये जाने के पश्चात खण्ड में भुगतान दस प्रतिशत वसूली</p>

	<p>3. बकाया भुगतान के पश्चात विद्युत संयोजन के पुनः जोड़ने के आदेश का निर्गमन</p> <p>(I) बत्ती पंखा, निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p>(II) 100 अ0श0 से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य</p>	<p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p>	<p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p>	<p>अधिशामीअभियन्ता</p> <p>अधिशामीअभियन्ता</p>	<p>करके साथ ही लिया जाएगा जिसमें वसूली कर की राशि, जिलाधिकारी को पूर्ण सूचना के साथ भेज दी जाएगी।</p> <p>3. सेक्शन-3 के नोटिस अधि0अभि0(राज0) के हस्ताक्षर से निर्गत होंगे तथा निर्गत के पूर्व उसका निरीक्षण लेखाकार (रा0) करेगा।</p> <p>4. सेक्शन-5 के नोटिस अधि0अभि0 के हस्ताक्षर से निर्गत होंगे तथा निर्गत के पूर्व उसका निरीक्षण लेखाकार (रा0) तथा सहा0 अभि0(राज0) करेंगे।</p>
(च)	<p><u>कम्प्यूटर से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण तथा वांछित कार्यवाही :</u></p> <p>1. बत्ती पंखा, निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य</p> <p>2. 100 अ0श0 से अधिक के</p>	<p>संबंधित बिल लिपिक/ वरिष्ठ बिल लिपिक</p> <p>संबंधित बिल लिपिक/</p>	<p>लेखाकार (राजस्व)</p> <p>स0अ0 (राजस्व)</p> <p>लेखाकार (राजस्व)</p>	<p>अधिशामीअभियन्ता</p> <p>अधिशामीअभियन्ता</p>	

	औद्योगिक एवं अन्य	वरिष्ठ बिल लिपिक	स0अ0 (राजस्व)		
(छ)	<u>विद्युत बिलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कार्यवाही :-</u> (I) उपखण्ड तक पहुंचाना (II) उपखण्ड से अवर अभियन्ता (III) उपभोक्ता तक पहुंचाना	संबंधित बिल लिपिक/ वरिष्ठ बिल लिपिक उपखण्ड लिपिक अवर अभियन्ता	लेखाकार (राजस्व) स0अ0 (राजस्व) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी	अधिशायीअभियन्ता अधिशायीअभियन्ता अधिशायीअभियन्ता	
(ज)	<u>बिलों में संशोधन तथा उसको कम्प्यूटर डाटा में सम्मिलित करना:-</u> 1. बत्ती एवं पंखा 2. निजी नलकूप तथा 100 अ0श0 तक के औद्योगिक एवं अन्य	सम्बन्धित लिपिक/ उपखण्ड लिपिक संबंधित लिपिक/वरिष्ठ लिपिक	स0अ0 (राजस्व)/ लेखाकार (राजस्व) लेखाकार (राजस्व) स0अ0 (राजस्व)	अधिशायीअभियन्ता अधिशायीअभियन्ता	कोई भी संशोधन केवल अधिशायी अभियन्ता के आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा। संशोधनों पर उपमहाप्रबन्धक अपने निरीक्षण के दौरान विशेष ध्यान देंगे।
(झ)	<u>राजस्व वसूली:-</u> (I) उपखण्ड स्तर (II) खण्ड स्तर	वरिष्ठ लिपिक/उपखण्ड लिपिक कैशियर (राज0)/वरिष्ठ	उपखण्ड अधिकारी लेखाकार (राजस्व)	अधिशायी अभियन्ता अधिशायी अभियन्ता	

		लिपिक	स0अ0 (राजस्व)		
(ट)	<u>राजस्व वसूली की बिलों के अनुरूप जांच तथा वसूली की रसीदों की जांच:-</u> (I) उपखण्ड स्तर (II) खण्ड स्तर	लेखाकार (राजस्व) लेखाकार (राजस्व)	स0अ0 (राजस्व) स0अ0 (राजस्व) स0 लेखाधिकारी (राजस्व)	अधिशायी अभियन्ता अधिशायी अभियन्ता	
(ठ)	<u>संबंधित समस्त आंकडों का संकलन तथा संबंधित अधिकारी को प्रेषण:-</u> (I) खण्ड स्तर पर सभी आंकडों का संकलन तथा सम्बन्धित लिपिक बैंक स्टेटमेंट से मिलान तथा उपमहाप्रबन्धक कैशियर (राजस्व) को प्रेषण		लेखाकार (राजस्व) या स0अ0 (राजस्व) स0 लेखाधिकारी (राजस्व)	अधिशायी अभियन्ता	
4.	<u>समग्री प्रबन्ध :-</u>				
(क)	इण्डेंट प्रस्तुति तथा प्रेषण (तकनीकी कार्यों अवर अभियन्ता के सम्पादन हेतु		उपखण्ड अधिकारी	अधिशायी अभियन्ता	
(ख)	स्टेशनरी इण्डेंट (I) उपखण्ड स्तर (II) खण्डीय स्तर	उपखण्ड लिपिक संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी मुख्य लिपिक	अधिशायी अभियन्ता अधिशायी अभियन्ता	

(ग)	<u>कोटेशन निर्गत या नोटिस निकालना</u> 1. उपखण्ड स्तर 2. खण्ड स्तर 3. मण्डल स्तर 4. क्षेत्र स्तर	उपखण्डीय लिपिक संबंधित लिपिक या जिसे कार्य सौंपा गया हो सम्बन्धित लिपिक, लेखाधिकारी (राजस्व) सम्बन्धित लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक	उपखण्ड अधिकारी लेखाकार (कार्य) संबंधित सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभि० उपमुख्य लेखाधिकारी	उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक	
(घ)	<u>कोटेशन प्राप्त होने पर कम्परेटिव  स्टेटमेंट बनाना/क्रय आदेश निर्गत  कराना:-</u> 1. उपखण्ड स्तर 2. खण्ड स्तर 3. मण्डल स्तर 4. क्षेत्र स्तर	उपखण्डीय लिपिक संबंधित लिपिक/ लेखाकार (रा०) मुख्य लिपिक सम्बन्धित लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक	उपखण्ड अधिकारी लेखाकार (कार्य) वरिष्ठतम अधि०अभि०/ लेखाधिकारी अधिशासी अभियन्ता(कार्य)	उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक	
(ङ)	<u>सामग्री की प्राप्ति:-</u> 1. मण्डल/क्षेत्र स्तर 2. उपखण्ड/खण्ड स्तर	भण्डारी/अवर अभियन्ता (वितरण) अवर अभियन्ता या अन्य सेक्शन होल्डर	सहा० अभि० (भण्डार) उपखण्ड अधिकारी सहा०अभि०(वितरण)	अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) अधिशासी अभियन्ता	

		जिसे इस कार्य के लिए उत्तरदायी किया गया हो।			
	<p><u>सामग्री का वितरण</u></p> <p>1. <u>भण्डार इकाई में प्राप्त सामग्री</u></p> <p>2. <u>उपखण्ड/खण्ड में प्राप्त सामग्री</u></p>	<p>भण्डारी</p> <p>जिस व्यक्ति के पास सामग्री उपलब्ध हो</p>	<p>स0अभि0(भण्डार),उपखण्ड अधिकारी</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>	<p>अधिशामी अभियन्ता (भण्डार)</p> <p>अधि0 अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी</p>	<p>1- सामग्री भण्डार संगठन से अधि0अभि0 द्वारा प्रमाणित इण्डेंट पर ही प्राप्त होगा</p> <p>2- खण्ड स्तर पर उपलब्ध सामग्री उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त इण्डेंट के विरुद्ध अधि0अभि0 द्वारा इण्डेंट पर किया जायेगा</p> <p>3- उपखण्ड स्तर पर उपलब्ध सामग्री उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही इण्डेंट पर दिया जायेगा।</p>
	<p><u>अनुरक्षण एवं परिचालन</u></p> <p>(क) लाइनों की पेट्रोलिंग</p>	<p>कुशल श्रमिक तकनीनिशयन ग्रेड-2 (लाइन)</p>	<p>अवर अभियन्ता</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी/ अधिशामी अभियन्ता</p>	<p>1- 11 के0वी0 लाइनों का 10 प्रतिशत पेट्रोलिंग निरीक्षण अवर अभि0 द्वारा की जायेगी</p> <p>2- 66/33 के0वी0 लाइनों का 50 प्रतिशत पेट्रोलिंग निरीक्षण अवर अभियन्ता तथा 10 प्रतिशत निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 5 प्रतिशत अधि0अभि0 द्वारा ही किया जाये।</p>

					<p>3- 132/220 केवी0 लाईनों का प्रतिशत पेट्रोलिंग निरीक्षण अवर अभियन्ता तथा 20 प्रतिशत उपखण्ड अधिकारी एवं 10 प्रतिशत अधि0अभि0 द्वारा की जायेगी।</p> <p>4- 400 केवी0 लाईनों की पेट्रोलिंग का निरीक्षण अवर अभियन्ता तथा उपखण्ड अधिकारी सम्मिलित रूप से शत-प्रतिशत करेंगे।</p> <p>अधि0अभि0 20 प्रतिशत का निरीक्षण करेंगे।</p>
(ख)	पेट्रोलिंग में प्राप्त त्रुटियों को दूर करने हेतु सामग्री प्रबन्ध	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	
(ग)	त्रुटि दूर करना	तकनीशियन ग्रेड-2(ला0)	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	
(घ)	विद्युत उपस्थानों का निरीक्षण :- 1. प्रत्येक दिन 2. प्रत्येक सप्ताह 3. प्रत्येक माह	अवर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक महाप्रबन्धक	
(ङ)	निरीक्षण में पाई कमियों को दूर करने हेतु सामग्री प्रबन्ध तथा उसे दूर कराना	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	
(च)	लाइनों तथा विद्युत उपस्थानों का सामयिक रख-रखाव	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	

(छ)	विद्युत उपस्थानों का परिचालन :- 1. 132 के.वी. तक 2. 132 से 220के.वी. तक  3. 400 के.वी.	विद्युत उपस्थान परिचालन तकनीशियन ग्रेड-2 (वि0)/अवरअभि0(मेन्स) अवर अभि0/स0अभि0	अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता  अधिशाली अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी अधि0अभि0/उपमहा प्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक	
5.	<u>अधिष्ठान :-</u> (क) अधिष्ठान के स्वीकृत पदों का लेखा-जोखा तथा उसकी सूचना का प्रेषण (ख) उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग (ग) वेतन तथा अन्य देयों का बिल बकाया:- 1. उपखण्ड स्तर 2. खण्ड स्तर (घ) वेतन बीजकों का निरीक्षण (ड) वेतन निरीक्षण:- 1. उपखण्ड स्तर 2. खण्ड स्तर  (च) अवकाश स्वीकृति तथा उसका लेखा-जोखा (छ) स्थानान्तरण पर सेवा पुस्तिका का प्रेषण/निर्गमन	सम्बन्धित लिपिक  मुख्य लिपिक  उपखण्ड लिपिक सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित लिपिक  उपखण्ड अधिकारी  सम्बन्धित लिपिक  उपखण्ड लिपिक/ सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित लिपिक	मुख्य लिपिक  मुख्य लिपिक  उपखण्ड अधिकारी लेखाकार (कार्य) लेखाकार (कार्य)  लेखाकार/अधिशाली अभियन्ता लेखाकार (कार्य)/अधिशाली अभियन्ता  उपखण्ड अधिकारी/ मुख्य लिपिक मुख्य लिपिक	अधिशाली अभियन्ता  अधिशाली अभियन्ता  अधिशाली अभियन्ता अधिशाली अभियन्ता अधिशाली अभियन्ता  उपमहाप्रबन्धक/लेखा उपमहाप्रबन्धक/लेखा अधिकारी  अधिशाली अभियन्ता  अधिशाली अभियन्ता	

(ज)	स्थानान्तरण पर एल0पी0सी0/ नोडयूज सर्टिफिकेट का प्रेषण/ निर्गमन	सम्बन्धित लिपिक	लेखाकार (कार्य)	अधिशाली अभियन्ता	
(झ)	अनुशासनिक कार्यवाही	मुख्य लिपिक	मुख्य लिपिक/नियन्त्रक अधिकारी	नियुक्ति अधिकारी	
(ल)	विधिक मामलों का निस्तारण एवं पैरवी	मुख्य लिपिक	अधिशाली अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक	
(र)	कार्मिकों के मामलों एवं समस्याओं का निस्तारण	उपखण्ड अधिकारी	अधिशाली अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक	